2000

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट हापुड़।

पत्रांकः- 1841 / जे0ए0-डी0एम0-हापुड़/कोविड-19/2020 दिनांक 30 जून, 2020

आदेश

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह गोपन अनुभाग-3, लखनऊ द्वारा जारी पत्रांक 1686/2020/सीएक्स-3 दिनांक 30 जून, 2020 के द्वारा गृह मन्त्रालय भारत सरकार के आदेश सं0 40-3/2020-डी0एम0-1 दिनांक 29 जून, 2020 के कम में कोविड-19 के दौरान लॉक डाउन गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश (अनलॉक-2) निर्गत किये गये हैं। उक्त के कम में निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं, जो समस्त सम्बन्धितों पर बाध्यकारी होंगे।

1:- अनलॉक-02 दिशा-निर्देश 31 जुलाई, 2020 तक प्रभावी रहेंगे।

2:- **कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर निम्नलिखित गतिविधियों के अलावा शेष समस्त गतिविधियां अनुमन्य होंगी:-**

(i) समस्त स्कूल, कॉलिज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि दिनांक 31 जुलाई, 2020 तक बन्द रहेंगे। यद्यपि ऑनलाईन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति पूर्व की भांति जारी रहेगी। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई, 2020 से कार्य करना प्रारम्भ करेंगे, जिनके लिये कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एस0ओ0पी0 पृथक से जारी की जायेगी।

(ii) अर्न्तराष्ट्रीय हवाई यात्रायें (गृह मन्त्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त को छोड़कर)

(iii) मेट्रो रेल सेवायें।

(iv) समस्त सिनेमा हॉल, जिम, कर्णताल, मनोरंजन-पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान।

(v) समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियां निषेध रहेंगी।
उपर्युक्त गतिविधियों को फिर से आरम्भ करने हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग को सुनिश्चित करते हुये आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3:- रात्रि निषेधाज्ञा:-

जनपद हापुड़ में रात्रिकालीन कर्फ्यू दिनांक 10.7.2020 तक रात्रि 08:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषेध रहेगा, केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर जिनमें औद्योगिक इकाईयों की मल्टीपल शिफ्ट, राज्य एवं राजकीय राजमार्गों पर व्यक्तियों और माल आदि का परिवहन, माल की लोडिंग/अनलोडिंग ओर बसों, ट्रेनों व हवाई जहाजों से अपने गन्तव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों भी शामिल हैं।

4:- कोविड-19 के प्रबन्ध हेतु राष्ट्रीय नीति निर्देश—फेस/मास्क कवर, सोशल डिस्टेन्सिंग, विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित न होना, कियाकम/सेवानिवृत्ति में 50 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित न होना, सार्वजनिक प्लेस में न थूकना, घर से कार्य आदि निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

5:- लॉक डाउन केवल कन्टेनमेन्ट जोन तक सीमित रहेगा:-

(i) कन्टेनमेन्ट जोन में लॉक डाउन दिनांक 31.7.2020 तक लागू रहेगा।

(ii) कन्टेनमेन्ट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी, यथा डोर-टू-डोर स्टेप डिलीवरी, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर आवागमन प्रतिबन्धित होगा। सघन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, हाऊस-टू-हाऊस सर्विसलान्स और यथावश्यक चिकित्सीय गतिवधियां अनुमन्य होंगी। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।